न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः—16 / 19 दिनांकः—04.10.2019

1. भिखन खॉ पुत्र सुण्डे खॉ जाति कायमखानी निवासी ग्राम रोहलसाहबसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.............प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।
2. पटवारी पटवार हल्का रोहल तहसील रामगढ शेखावाटी।

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शीला(प्रार्थी की ओर से)

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि वाके ग्राम साहबसर तहसील रामगढ शेखावाटी के पटवार हल्का रोहल में अवस्थित खेत खसरा नम्बर 184 रकबा 3.34 हैक्टयर तथा खसरा नम्बन 77 रकबा 3.21 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 77 रकबा 3.21 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.55 हैक्टयर अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त है।

उक्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से सुण्डे खॉ के स्थान पर मुकारब खॉ दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का नाम समस्त लोक अभिलेखों व प्राइवेट अभिलेखों में सुण्डे खॉ चला आ रहा है। तथा गॉव में भी प्रार्थी के पिता को सुण्डे खॉ के नाम से जानते है।

प्रार्थी के नाम से जारी राशन कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भिखन खॉ पुत्र सुण्डे खॉ अंकित है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम भिखन खॉ पुत्र सुण्डे खॉ अंकित है। प्रार्थी के नाम से जारी मतदाता पहचान पत्र में भी प्रार्थी के पिता का नाम भिखन खॉ पुत्र सुण्डे खॉ अंकित है तथा प्रार्थी के नाम से लिये गये जल उपभोग कनेक्शन व विधुत कनेक्शन में भी प्रार्थी के पिता का नाम भिखन खॉ पुत्र सुण्डे खॉ अंकित है। इसलिए प्रार्थी अपने राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम मुकारब खॉ के स्थान पर सुण्डे खॉ संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अन्य खातेदार के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहने के कारण प्रार्थना पत्र में सह खातेदार को पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक नहीं है।

प्रार्थी ने अपने खाते की कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम मुकारब खॉ के स्थान पर सुण्डे खॉ अंकित करवाने हेतु राजस्व अधिकारियों से कई मर्तबा निवेदन किया लेकिन खाता संशोधन बाबत् कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार रामगढ़ ने जरिये पत्र क्रमांक—राजस्व/2019/866 दिनांक 01.10.2019 रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रमाणित प्रति जमाबंदी खसरा नं. 184 वाके ग्राम साहबसर सम्वत् 2074—77, प्रमाणित प्रति जमाबंदी खसरा नं. 77 वाके ग्राम साहबसर, जमाबंदी सम्वत् 2060—63 खसरा नं. 79 वाके ग्राम साहबसर, सरपंच ग्राम पंचायत रोलसाहबसर का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार का राशन कार्ड, बिजली बिल, नल—पानी का बिल, बोरवेल रिपोर्ट आदि दस्तावेजात पेश कियें।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

बहस सुनी गईं। तर्कों पर मनन किया गया। प्रार्थी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल में भीखन खां पुत्र सुण्डे खां नाम अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जमाबंदी सम्वत् 2074–77 पेश की गई जिसमें भीखन खां पुत्र मुकारब खॉ दर्ज है, अन्य जमाबंदी 2060–63 जिसमें भी भीखन खां पुत्र मुकारब खान दर्ज है। प्रार्थी अपने पिता का नाम संशोधित करवा कर सुण्डे खां अंकित करवाने का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा पूर्व की जमाबंदी पेश नहीं की गई, इसलिए ये तथ्य पुष्ट नहीं हो सकता है, कि त्रुटि रिकॉर्ड में कब हुई है तथा सुण्डे खां का नाम जमाबंदी में दर्ज था जिससे विरासत के जरिये भीखन खां को खातेदार अधिकार प्राप्त हुए है। ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र तथा तहसीलदार रिपोर्ट से भी प्रार्थी का क्लेम साबित नहीं होता है। अतः रिकॉर्ड व दस्तावेजों के अभाव में प्रार्थी के क्लेम को स्वीकार किया जाना विधि सम्मत् प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र खारिज करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–ःआदेशः–

अतः आदेश है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल. आर. एक्ट खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04.10.019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर

Scanned by CamScanner